1127 | 1235
~~1344~~ (145)

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय म0प्र0राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवाम0

R.2835-II/15

Court Fee ₹20 (बीस रुपये / TWENTY RUPEES)

सुखलाल पिता सीताराम बसवार निवासीग्राम गोरबी, तहसील चितरंगी
जिला सिंगरौली म0प्र0 ———— आवेदक

बनाम

मु0शकुन्तला देवी पत्नी विधवा त्रिभुवन पाठक निवासी ग्राम गोरबी
तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली म0प्र0 ———— अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर
महोदय जिला सिंगरौली म0प्र0के प्र0क्र0
168/निगरानी/2009-2010 मे पारित आदेश
दिनांक28.3.2012 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा
50 म0प्र0भू0रा0सं0के तहत निगरानी

श्री ओमप्रकाश पाण्डेय एड
द्वारा आज दिनांक. 16-7-15 को
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, आराजी नम्बर 502/1 रकवा0.26हे. ,आराजी नं. 503रकवा0.94हे. ,आराजी नं. 770रकवा0.09हे. ,एवं 776/3 रकवा0.11हे. ,कुल रकवा 1.40हे. स्थित मौजा ग्राम गोरबी, तहसील चितरंगी जिला रीवा म0प्र0मे स्थित भूमि है। उक्त भूमि 0 के भूमिस्वामी राजस्व अभिलेखो मे म0प्रशासन दर्ज था लेकिन उक्तभूमि मे आवेदक का कब्जा उनके पूर्वजो के अनुक्रम मे संहिता लागू होने केपूर्व से चला आ रहा है। जिसमे आवेदक कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार वालो का भरण पोषण करता चला आ रहा है। आवेदक के पास प्रश्नाधीन भूमि के अलावा अन्य कोईभूमि नहीं है। जिससे दीर्घकालीन कब्जा

आवेदक/अधि0 द्वारा प्रस्तुत
Agarwal
16-7-15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–**R.2835–II**/15 जिला–सिंगरौली

सुखलाल वैसवार/शकुन्तला देवी पाठक

(1)	(2)	(3)
16.05.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	